



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्टान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-6666192

फोन नं०-66162-63,

ई मेल-lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म०भो०प्र० / C-०८१ / 2012-13

दिनांक 11 जून, 2012

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय जनपदों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान वर्तमान वर्ष हेतु आवंटित धनराशि से किया जा सकता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये वर्तमान वर्ष में आवंटित धनराशि से भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान किया जा सकता है।

चूंकि प्राधिकरण स्तर से प्रत्येक जनपद को वर्ष में आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष ही खाद्यान्न के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है। अतः यदि आपके जनपद में भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान वर्तमान वर्ष में आवंटित धनराशि से किया जाता है तो भुगतान करने के पश्चात इस सम्बन्ध प्राधिकरण को अवगत कराते हुए इस प्रकार किये गये भुगतान की धनराशि की अतिरिक्त मांग भी प्राधिकरण से कर ली जाय।

भवदीय,

(संतोष कुमार)

अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संतोष कुमार)

अपर निदेशक



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-6666192

फोन नं०-66162-63,

ई मेल-lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म०भो०प्रा०/८-४४) /2012-13

दिनांक 11 जून, 2012

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय जनपदों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान वर्तमान वर्ष हेतु आवंटित धनराशि से किया जा सकता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये वर्तमान वर्ष में आवंटित धनराशि से भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान किया जा सकता है।

चूंकि प्राधिकरण स्तर से प्रत्येक जनपद को वर्ष में आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष ही खाद्यान्न के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है। अतः यदि आपके जनपद में भारतीय खाद्य निगम के पूर्व वर्षों के लम्बित बिलों का भुगतान वर्तमान वर्ष में आवंटित धनराशि से किया जाता है तो भुगतान करने के पश्चात इस सम्बन्ध प्राधिकरण को अवगत कराते हुए इस प्रकार किये गये भुगतान की धनराशि की अतिरिक्त मांग भी प्राधिकरण से कर ली जाय।

भवदीय,

(संतोष कुमार)
अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संतोष कुमार)
अपर निदेशक